

**सगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल**  
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर  
अधिसूचना

दिनांक... 03/06/2012

क्रमांक..... 29..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" के अधिसूचना क्रमांक 12, रायपुर दिनांक 27-11-2012 में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना एवं सिलार्ड मशीन सहायता योजना में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है-

**मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना-**

(ब) योजना हेतु पात्रता-

- (ii) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की हो।

**मुख्यमंत्री सिलार्ड मशीन सहायता योजना-**

(ब) योजना हेतु पात्रता-

- (ii) पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक की आयु 35 से 60 वर्ष आयु समूह की हो।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03/06/12

पृष्ठांकन क्र० / / 570-582  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. सचिव सह श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ०ग०)
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)

8. कलेक्टर, जिला ..... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / प्रभारी श्रम पदाधिकारी ..... छ0ग0)
11. उप संचालक / प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....  
(छ0ग0)
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका ..... कार्यपालन  
अधिकारी, जनपद पंचायत .....
13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर  
लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत  
इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल  
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक... 27/11/12

क्रमांक..... 20..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 01.10.2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :-

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :-

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष आयु समूह की हो।

(द) स्वीकृति का अधिकार

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा।

(ii) विलोपित

उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 25.11.2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील

होगा।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ०क० / / 5458  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 27/11/12

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
- ✓ 4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .....
- (छ०ग०)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....
- (छ०ग०)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

अधिसूचना

दिनांक 27/11/12

क्रमांक/2012/19 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियम) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएँ बनाती है :-

(1) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना, 2010 होगा।
- (ii) योजना के अंतर्गत 10,000 सायकल प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माणी श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा।
- (iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

- (i) यह योजना निर्माणी महिला श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने आने के लिए प्रदाय किया जावेगा।
- (ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह की हो।
- (iii) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना का लाभ न लिया हो।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

- (i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।
- (ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल  
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक... 27/11/12

क्रमांक.....12..... "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर, दिनांक 25.11.2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2010/16, रायपुर दिनांक 25.11.2010 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :-

मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना :-

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष आयु समूह की हो।

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :-

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 26 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो।

उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 3.7.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील

होगा।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)



(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ०क० / /  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 27/11/12

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .....  
(छ०ग०)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .....  
(छ०ग०)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल